संख्या:25/2023/966ई-2/तेरह-2023-1634237

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊ::दिनांक 12 जून, 2023**

विषय:-मेसर्स सक्सेरिया बिसवां शुगर फैक्ट्री लि., आसवनी इकाई बिसवां, जनपद सीतापुर की क्षमता सी-हैवी शीरे पर 65 के.एल.पी.डी. से बढ़ाकर 133 के.एल.पी.डी. एवं बी-हैवी शीरे पर 81 कि.ली. प्रतिदिन से बढ़ाकर 166 के.एल.पी.डी. किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-39/ दो-प्रा.डी.-115,दिनांक 07-06-2023 का कृपया कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 07-06-06-2023 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स सक्सेरिया बिसवां शुगर फैक्ट्री लि., आसवनी इकाई बिसवां, जनपद सीतापुर की क्षमता सी-हैवी शीरे पर 65 के.एल.पी.डी. से बढ़ाकर 133 के.एल.पी.डी. एवं बी-हैवी शीरे पर 81 कि.ली. प्रतिदिन से बढ़ाकर 166 के.एल.पी.डी. अर्थात् वर्ष में 350 कार्यकारी दिवस के आधार पर सी-हैवी शीरे पर 227.50 लाख लीटर से बढ़ाकर 465.50 लाख लीटर एवं बी-हैवी शीरे पर 283.50 लाख ली. से बढ़ाकर 581.00 लाख ली. किये जाने हेतु प्लान्ट/मशीनरी स्थापित किये जाने, जिसमें बढ़ी हुई क्षमता के के अन्तर्गत एथनॉल का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, हेतु इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का अक्षरश: अनुपालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) आसवनी/इकाई द्वारा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) आसवनी द्वारा रिसीवर एवं एथनॉल संचय टैकों के पश्चात मास फ्लोमीटर एवं एथनाल संचय टैंकों पर राडार बेस्ड लेबिल ट्रान्समीटर लगाया जायेगा।

(3) आबकारी आयुक्त द्वारा अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आसवनी/इकाई पर कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

(4) उक्त के अतिरिक्त इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन हुए उत्पादन सुनिश्चितकिया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**